न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:—418/2022/225 आर टी एक्ट (2022/418)

1. भैरू उर्फ गोरू पुत्र जग्गा जाति कुमावत, निवासी शेषपुरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. कॉना पुत्र जगन्नाथ जाति कुमावत निवासी शेषपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर।

प्रार्थी/रेस्पोडेंट

2. गोपाल पुत्र अमरा
3. छोटी देवी पुत्री अमरा (तलबी बंद दिनांक 15.10.24)
4. रामकिशन पुत्र अमरा
   समस्त जाति कुमावत, निवासीगण शेषपुरा, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार-जरिए तहसीलदार, केकडी जिला अजमेर।

अप्रार्थी/रेस्पोडेंट्स

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी विरूद्ध निर्णय दिनांक 30.11.2022 राजस्व वाद संख्या 47/2022.

उपस्थितः—

1. श्री एस0पी0औझा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री गुमान कुमावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02
4. श्री सीताराम कुमावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 04
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 05

निर्णय

दिनांकः— 08.11.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 47/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, केकडी के न्यायालय में अप्रार्थी/अपीलांट व अप्रार्थी/रेस्पोडेंट के विरूद्ध प्रस्तुत किया। उपरोक्त प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिए। दिनांक 5.7.2022 को अप्रार्थी/अपीलांट की ओर से पावर पेश किया गया तथा शेष के नोटिस तलबी व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगाए जाने के आदेश दिए तथा पत्रावली वास्ते जवाब एवं शेष की तलबी जरिए रजिस्टर्ड नोटिस चलती रही दिनांक 1.11.2022 तक उपरोक्त अनुसार ही पत्रावली नियत होती रही तथा दिनांक 22.11.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त होना अंकित करते हुए तथा अप्रार्थी/अपीलांट का जवाब बंद कर दिया गया और उसी दिन बहस सुन ली गई व पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु नियत की गई तथा दिनांक 30.11.2022 को प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए। अतः अपील अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 47/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 02 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरोधाभासी है। एक तरफ तो वह कदीमी रास्ता 20 फुट चौडा बताकर आवागमन बताता है तथा उस रास्ते को अप्रार्थीगणों के द्वारा बंद करना बताता है तथा दूसरी ओर नया रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी में से क्लेम करता है। उपखण्ड अधिकारी केकडी के समक्ष पत्रावली जवाब व तलबी हेतु विचाराधीन थी जो दिनांक 01.11.2022 की फर्दकाम से स्पष्ट है तथा आगामी पेशी दिनांक 22.11.2022 नियत की गई थी लेकिन दिनांक 22.11.2022 को पत्रावली न्यायालय में नहीं आई और ना ही प्रार्थी अभिभाषक को कोई तारीख पेशी नियत की गई और ना ही पत्रावली में किसी प्रकार की कार्यवाही की गई। दिनांक 22.11.2022 एवं उसके पश्चात जो भी कार्यवाहियां की गई है, वह अपीलांट व उनके अभिभाषक की जानकारी बगैर की गई है। केवल रेस्पोडेंट संख्या 1 को फायदा देने के उद्वेश्य से की गई है। यह स्पष्ट है कि पत्रावली बहस हेतु पूर्ण ही नहीं थी क्योंकि दिनांक 01.11.2022 को पत्रावली तलबी व जवाब हेतु नियत की गई थी ना तो रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 4 की तलबी की गई है और ना ही उनके तामीली अथवा एकपक्षीय कार्यवाही बाबत कोई आदेश पारित किया हुआ है, साथ ही अपीलांट का जवाब प्रस्तुत करने हेतु ना तो कोई अंतिम अवसर दिया हुआ है। जिससे यह स्पष्ट है कि दिनांक 22.11.2022 की फर्दकाम जो बाद में लिखी गई है जो फर्दकाम में भी स्पष्ट रूप से दिख रही है। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का व आई0एल0आर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एकपक्षीय है जो रेस्पोडेंट को फायदा पहुंचाने के उद्वेश्य से उसके कहे अनुसार बनाई गई है, क्योंकि अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट को कोई नोटिस तामील नहीं कराए गए तथा जो नोटिस पत्रावली पर है उसका अवलोकन किया जाए तो हर नोटिस में उनवान ही परिवर्तन कर दिया गया है साथ ही गोपाल के नोटिस पर तो दूरभाष के द्वारा सूचित किया गया तथा सूचना के उपरांत मौके पर अनुपस्थित रहा अंकित किया हुआ है। प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 अपने खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 729 पर कभी भी अपीलांट के खसरा नम्बर 734 एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत की आराजी खसरा नम्बर 730 एवं सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 733 से आवागमन नहीं किया गया है बल्कि वह खसरा नम्बर 732 गैर मुमकिन रास्ते से सीधा आगे जाते हुए खसरा नम्बर 745 से होकर व खसरा नम्बर 1128/742 के ऊपर वाले रास्ते से होते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 व अन्य काश्तकार जिनकी खातेदारी आराजी है वर्षो से आते जाते रहे है। केवल मात्र अपनी आराजी की कीमत बढाने के उद्वेश्य से सीधा रास्ता खसरा नम्बर 730 व खसरा नम्बर 734 के बीच में से चाहा है जो नहीं दिया जा सकता है तथा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपने वैकल्पिक मार्ग से ही आवागमन कर सकता है। उसके बावजूद अंतर्गत आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित किया गया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 42/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में कथन किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा संख्या 729 रकबा 0.83 है0 किस्म चाही 2 खड्डा वाके ग्राम शेषपुरा तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थी के अलावा अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा न ही वास्ता व सरोकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में आने जाने का एक मात्र पुराना रास्ता जो करीब 20 फुट चौडा है, जो गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 732 में से होते हुए सरकारी सिवायचक खसरा नम्बर 733 में से होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की आराजी खसरा नम्बर 730 रकबा 0.49 है0 किस्म चाही उत्तम व जाव उत्तम एवं अप्रार्थी संख्या 4 की आराजी खसरा नम्बर 734 रकबा 0.20 है0 किस्म बारानी उत्तम की बीच की मेड पर स्थित है, एवं प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 1 में वर्णित आराजी में आने जाने का एक मात्र कदीमी रास्ता उक्त खसरा नम्बर 732 व खसरा नम्बर 733 में से होते हुए खसरा नम्बर 730 व 734 की मध्य की मेड पर मौजूद है। प्रार्थना पत्र के साथ कदीमी रास्ते को नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है, जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावे। अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में है जिसे अप्रार्थीगण ने दिनांक 15.6.2022 को हकाई करके बंद कर दिया, जिससे प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात में जाने आने का एक मात्र कदीमी रास्ता बंद हो गया और प्रार्थी को उक्त आराजीयात में फसल बोने के लिए जाने हेतु कोई रास्ता नहीं होने से आराजीयात बिना काश्त ही पड़ी रह जाएगी। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से काफी मिन्नते की कि उक्त रास्ते को बंद मत करों लेकिन अप्रार्थीगण नहीं माने। प्रार्थी को उक्त एक मात्र कदीमी रास्ता बंद होने के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड रहा है, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। अप्रार्थीगण ने उक्त कदीमी रास्ता जो कि गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 732 में से होते हुए खसरा नम्बर 730 व 734 की मध्य की मेड पर स्थित है जो करीब 20 फुट चौडा है जिसे अप्रार्थीगण ने हकाई कर अवरूद्ध कर दिया है। प्रार्थी ने पुनः दिनांक 15.6.2022 को अप्रार्थीगण से रास्ता अवरूद्ध नहीं करने संकरा नहीं करने एवं बैलगाडी, ट्रेक्टर पशुओं आदि के आने जाने में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थीगण ने धमकियां दी व लड़ाई झगडा करने पर आमादा हो गए। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि उक्त गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 732 में से होते हुए खसरा नम्बर 730 व 734 की मध्य की मेड पर स्थित कदीमी रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे एवं कृषि उपकरण ट्रेक्टर, बेलगाडी व जानवर वगैरह आने जाने में बाधा नहीं पहुंचाए। वर्णित आराजी में आने जाने का वर्तमान में विद्यमान एक मात्र कदीमी रास्ता जो 20 फुट चौडा है को अवरूद्ध कर रखा है को खुलासा करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में भी रास्ता इंद्राज खसरा नम्बर 733 व खसरा नम्बर 730 व खसरा नम्बर 734 की मध्य की मेड पर करवाया जाना आवश्यक है एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र में रास्ता दिए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए आर0टी0एक्ट में अप्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया तथा अप्रार्थी संख्या 04 वर्तमान अपीलांट के अभिभाषक भी उपस्थित हुए किन्तु जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब बंद किया है तथा अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तामील करवायी गयी, फिर भी उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी बावत् तहसीलदार, केकड़ी से मौका रिपोर्ट तलब की है तथा मौके पर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए तथा मौका रिपोर्ट गॉव के अन्य मौतबिरान के समक्ष तैयार करके, पढ कर व सभी के हस्ताक्षर करवा कर तैयार की गई है तथा जो रास्ता बाबत् आदेश पारित किये है जो धारा 251ए राज.काश्तकारी अधिनियम के प्रमुख तत्वों के अनुसार निकटतम व लघुत्तम एवं रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता के आधार पर किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय संगत व विधि अनुसार पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। पत्रावली में नियत दिनांक 5.7.2022 पश्चात अप्रार्थी की इंतजार तामील हेतु दिनांक 21.7.2022 की पेशी नियत की गई। उक्त प्रकरण में आगामी दिनांक 12.08.2022, 22.08.2022, व 01.09.2022 नियत की गई। दिनांक 01.09.2022 को शेष अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये तथा आगामी पेशी 20.09.2022 नियत की गई। दिनांक 20.09.2022 को अप्रार्थी ने जवाब हेतु अवसर चाह तथा पत्रावली पेशी दिनांक 17.10.2022 नियत की गई। उसके पश्चात पत्रावली आगामी दिनांक 17.10.2022, 01.11.2022 हेतु नियत की जाकर आगामी पेशी दिनांक 22.11.2022 नियत की गई। दिनांक 22.11.2022 को अपीलांट व वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 3 की तलबी पूर्ण हुए बिना जवाब के प्रकरण में बहस सुन कर पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 29.11.2022 नियत कर आगामी पेशी दिनांक 30.11.2022 में प्रकरण पर निर्णय पारित कर दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 04 को समुचित जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा एकपक्षीय आदेश दिनांक 30.11.2022 पारित किया गया है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट दिनांक 21.09.2022 हेतु भी पत्रावली पर कहीं पर भी अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 04 को कोई नोटिस संबंधित सूचित किया गया हो यह आदेशिका में अंकित नहीं है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार मौका रिपोर्ट अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 04 की अनुपस्थिति में दिनांक 21.09.2022 को एकपक्षीय रूप से बनाई गई है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अपीलांट के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है तथा मौका रिपोर्ट भी उनकी अनुपस्थिति में ही तैयार की गई है। विधि अनुसार नियम 69 के तहत् आवेदन–पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो निरीक्षक भू– अभिलेख के पद से नीचे का नहीं होगा, निरीक्षण करवायेगा एवं प्रभावित व्यक्तियों से आपत्तियॉ आंमत्रित करेगा। वर्तमान प्रकरण में मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं अर्थात पक्षकारों की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क के सरकारी नियम 69 की अवहेलना की है। उक्त नियम के अनुसार उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है। उपरोक्त कारणों से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा प्रकरण संख्या 47/2022 (425/2022) में पारित आदेश दिनांक 30.11.2022 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि वे प्रार्थना–पत्र में उभय पक्षकारान को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 के प्रावधानों की पालना करते हुए मौका रिपोर्ट तैयार की जाकर उभय पक्षकारान से आपत्ति प्राप्त

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कर, आपत्ति का निरतारण करते हुए पुनः विस्तृत रूप से गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के न्यायालय में दिनांक 29.11.2024 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

08/11/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner